



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:22637

उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ

दांडिक अपील संख्या.- 845/2026

चंदन लाल दीक्षित

..... अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता

:- राम कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

:- शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या. - 27

माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14-क(1) के अंतर्गत यह वर्तमान दांडिक अपील, विद्वान विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, हरदोई के न्यायालय द्वारा परिवाद संख्या 596/2019 “प्रदीप बनाम चंदन लाल दीक्षित एवं अन्य” में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 11.11.2019 एवं तदनुक्रमित गैर-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जमानती वारंट आदेश दिनांक 16.02.2026 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। उक्त मामला थाना अतरौली, जिला हरदोई के अपराध संख्या 963/2010, भारतीय दंड संहिता की अंतर्गत धारा 147, 148, 504, 506, 307 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(v) से उद्भूत है, जिसमें विद्वान विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन का निस्तारण करते हुए, परिवादी द्वारा दाखिल विरोध याचिका को स्वीकृत किया तथा पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या को अस्वीकृत कर दिया एवं अपीलकर्ता व अन्य अभियुक्तों को विचारण हेतु समनित करते हुए अपीलकर्ता के विरुद्ध एक गैर-जमानती वारंट जारी किया है।

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी संख्या-2 के कहने पर उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत दिनांक 13.08.2010 को इस आरोप के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि अभियुक्त-अपीलकर्ता और सह-अभियुक्तों ने सूचनाकर्ता के पास जाकर उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया एवं उस पर गोली भी चलाई, जो उसकी बाईं जांघ में लगी। पुलिस ने मामले की विवेचना की तथा मामले में अंतिम आख्या प्रेषित की, जिसमें इस घटना में अपीलकर्ता की संलिप्तता नहीं पाई गई। इसके उपरांत, सूचनाकर्ता ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक विरोध याचिका दायर की, जिसमें न्यायालय द्वारा आगे की विवेचना का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई आगे की विवेचना में भी अपराध में अपीलकर्ता और सह-अभियुक्तों की संलिप्तता नहीं पाई गई और पुनः अंतिम आख्या प्रेषित की गई। सूचनाकर्ता ने इस दूसरी अंतिम आख्या के विरुद्ध विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक विरोध याचिका दायर की, जिस पर दिनांक 11.11.2019 को अपीलकर्ता एवं सह-अभियुक्तों के विरुद्ध समन करने का आदेश पारित किया गया तथा दूसरी विवेचना के पश्चात दाखिल की गई अंतिम आख्या को निरस्त कर दिया गया। फलस्वरूप न्यायालय द्वारा विरोध याचिका स्वीकार कर ली गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. समन आदेश पारित होने के समय, एक सह-अभियुक्त चंद्र प्रकाश शुक्ला की मृत्यु हो चुकी थी। अपीलकर्ता और सह-अभियुक्तों ज्ञानी, छोटकन्नु और दिलीप को समनित किया गया था। सह-अभियुक्त अजय कुमार दीक्षित उर्फ छोटकन्नु ने एक आवेदन दिनांक 26.05.2025 को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उचित आदेश जारी करने हेतु इस आधार पर प्रस्तुत किया कि समन आदेश पारित होने के पश्चात, मामले को एक परिवाद मामले के रूप में दर्ज किया गया था, जो कि अनुमेय नहीं था, क्योंकि समन आदेश दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XV के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित किया गया था। हालाँकि, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 39(ख) के अंतर्गत उक्त आवेदन को खारिज कर दिया तथा शेष सह-अभियुक्तों: चंदन लाल दीक्षित, ज्ञानी एवं दिलीप की अनुपस्थिति के कारण उनके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया गया। सक्षम न्यायालय के आदेश से सह-अभियुक्त अजय कुमार दीक्षित को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता, अजय कुमार दीक्षित उर्फ छोटकन्नु ने भी समन आदेश के साथ-साथ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2026 के विरुद्ध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14क के अंतर्गत दांडिक अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील का निस्तारण करते हुए अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्मोचन हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
6. उन्होंने आगे यह प्रस्तुत किया कि यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आक्षेपित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तो अपीलकर्ता को अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

किया जाए, जैसा कि सह-अभियुक्त अजय कुमार दीक्षित को इस संबंध में पहले ही स्वतंत्रता दी जा चुकी है।

7. उपरोक्त के आलोक में, इस अपील का **निस्तारण** करते हुए अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत करे। उक्त आवेदन पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा, आवेदन दाखिल होने के अधिमानतः एक माह के भीतर, विधि के अनुसार सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। उन्मोचन आवेदन की सुनवाई के दौरान, अपवादत्म्क आधारों को छोड़कर, अपीलकर्ता की ओर से कोई भी स्थगन स्वीकार्य नहीं होगा। इस बीच, अपीलकर्ता के विरुद्ध जारी किया गया गैर-जमानती वारंट प्रभावी नहीं रहेगा।

8. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्मोचन आवेदन खारिज किए जाने की स्थिति में, अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा और चूंकि उसकी जमानत अभी मंजूर नहीं हुई है, अतः उसके जमानत आवेदन पर विधि के अनुसार विचार किया जाएगा। यदि वह आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा)

मार्च 31, 2026

मोहम्मद शरीफ

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।